Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[Supply Revision No.-05/2025]
Padum Lal Yadav.....Revisionist.
Versus
The State of Bihar.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.5.2026	**आदेश** यह Supply पुनरीक्षण वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं. -18131/2017 में दिनांक-24.1.2025 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय, समाहर्त्ता, किशनगंज के आपूर्ति अपील वाद सं.-03/2015 में दिनांक-20.6.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-04.5.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। पुनरीक्षणकर्त्ता का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि पंचायत-बैगना प्रखंड-टेढ़ागाछ में दिनांक-13.8.2014 को जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा श्री पदम लाल यादव के PDS दुकान (अनुज्ञप्ति सं.-23TR/2007) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त कई अनियमितता पायी गयी, जिसके आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी, किशनगंज के स्तर से उनके पत्रांक-822 दिनांक- 22.9.2014 के माध्यम से पुनरीक्षणकर्त्ता से निम्नलिखित बिन्दुओं पर कारण पृच्छा की मांग की गईः- 01.लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन/किरासन तेल की आपूर्ति किया जाना। 02.निर्धारित मूल्य से अधिक राशि उपभोक्ताओं से वसूल किया जाना। 03.उपभोक्ताओं को कैशमेमो निर्गत नहीं किया जाना। पुनरीक्षणकर्त्ता PDS Dealer श्री पदम लाल यादव के PDS दुकान संचालन में कई प्रमाणित अनियमितता यथा- वितरण पंजी में कई उपभोक्ताओं के नाम से दोहरी प्रविष्टी कर खाद्यान्न का विचलन करना, वितरण पंजी में एक ही व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्त्ता के रूप में भिन्न भिन्न क्रमांकों पर फर्जी तरीके से तैयार किया गया अंगुठा निशान अंकित कराना, वितरण पंजी के कई कार्डधारी का प्राप्तकर्त्ता में हस्ताक्षर/अंगुठा निशान एक ही व्यक्ति का पाया जाना आदि के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक-957 दिनांक-15.11.2014 द्वारा श्री पदम लाल यादव के PDS अनुज्ञप्ति सं. -23TR/2007 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया। साथ ही समाहर्त्ता, किशनगंज के समक्ष दायर पी.डी.एस. अपील वाद सं.-03/2015 में पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के सापेक्ष कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने एवं कोई सटीक जवाब नहीं देने के आलोक में अपील वाद को अस्वीकृत कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा कागजातों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा PDS दुकान का	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

	13.5.2026	अनियमित संचालन किया गया है। साथ ही पुनरीक्षणकर्त्ता का यह Self Admitted Fact है कि पूर्व में उनके द्वारा लाभुकों को कैश मेमो नहीं दिया जाता था, जो उनकी भूल थी। तथा यह कि उनके द्वारा कैश मेमो छपने के लिए प्रेस में दिया गया है। पुनरीक्षणकर्त्ता के स्तर से PDS दुकान संचालन से संबंधित Public Distribution System (Control) Order 2001 में निहित प्रावधानों तथा PDS अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन किया गया है। सुनवाई में उपस्थापित कागजातों के आधार पर पुनरीक्षणकर्त्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाते हैं। पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से सुनवाई में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को Negate करने के संबंध में कोई Counter Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अतः तदनुसार इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। पुनरीक्षणकर्त्ता अपने Case को Establish करने में विफल रहे हैं। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय के भेजें। 13/5/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। 13/5/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	